

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), जयपुर

फ़ॉर्म नं. AR/JAIP/2023/053877 671

प्रशासनिक दस्तावेज़ नंबर: AS/OREL/JAIP/0006613

दिनांक: 19/06/2023

प्रशासनिक स्वीकृति

सहायक जिला अधिकारी (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा) को प्रकटित है आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अथवा 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) को अर्जित किए गए आवेदन अनुसार आग (गैस आग) से पीड़ितों को उनकी नाम के समुचित अर्जित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में मुमानत करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

| क्र.स. | आवेदन संख्या        | पीड़ित का विवरण                                     | आपदा का क्षेत्र                                                                                     | आपदा की दिनांक | क्षति का प्रकार | क्षति का विवरण                                                    | देय सहायता राशि |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | AR/JAIP/2023/053877 | नाम: Mangal Chandपिता का नाम: Muralidharजिला: जयपुर | dhani ramawali, dhani ramawali, शाहपुरा, पंचायत समिति - शाहपुरा, ग्राम पंचायत - करौरी, गाँव - करौरी | 11/04/2023     | आग (गैस आग)     | गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर, कपड़े एवं बिस्तर, भोजन-बर्तन की क्षति | 9000            |
| योग    |                     |                                                     |                                                                                                     |                |                 |                                                                   | 9000            |

इस राशि का लघु निम्न बजट ग्रंट से किया जाएगा - 2745-01-800-(03)-021-12

जिला कलेक्टर  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
जयपुर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

क्र.सं. 672-77

दि. 19.6.23

- प्रतिनिधि निम्नांकितों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. शासन अधिकारी आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर
  2. नगरपालिका अध्यक्ष
  3. जिला कलेक्टर, जयपुर
  4. उपसहायक अधिकारी
  5. सहायक अधिकारी
  6. जिला मुख्यालय एवं जयपुर के अधिकारी, जयपुर
  7. निदेशपाल (सहायता शाखा) कार्यालय जयपुर

प्रभारी अधिकारी  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Prakash Rajpurohit  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2023.06.22 11:11:21 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4083671



प्राकृतिक कारणों से आगारा जलप्लावन/जलप्लावन पर्यवेक्षण करने से

|    |                                                                                          |                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | प्राणी का नाम                                                                            | मांलुचन मांल                                     |
| 2  | पिता/पति का नाम                                                                          | जडाग                                             |
| 3  | जाति                                                                                     | अदर                                              |
| 4  | पेशा                                                                                     | हवि                                              |
| 5  | निवास स्थान का पता                                                                       | पानी-रामावली गांव-श्री<br>हट-शाहपुरा जिला-पुण्डर |
| 6  | चाही गई सहायता राशि                                                                      | 143900 ✓                                         |
| 7  | प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड/ जलप्लावन<br>आकस्मिक दिजली गिरने का स्थान                       | कटने के कारण अग्निकांड                           |
| 8  | दुर्घटना घटित होने की तिथि                                                               | 11.4.2023 को राति में                            |
| 9  | प्राणी का बैंक खाता संख्या                                                               | 3456636853                                       |
| 10 | बैंक शाखा का नाम                                                                         | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया<br>शाखा - बिलावरपुर     |
| 11 | IFSC कोड नम्बर (बैंक पासबुक के प्रथम<br>पेज की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से<br>संलग्न करें) | CBIN0282486                                      |
| 12 | आधार कार्ड संख्या                                                                        | 870326625777                                     |
| 13 | नामांशक कार्ड संख्या<br>जनाशक                                                            | 4833758439                                       |

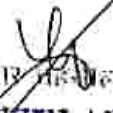


म. वि. म. म. म. म. म.

साहसीलदार की जाँच रिपोर्ट

|                                                                                                         |                                                              |          |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|
| 1. परिवार के मुखिया का नाम एवं जाति                                                                     | मंगलचन्द 810 रणदयाल जाति गरीब                                |          |     |        |
| 2. परिवार के सदस्यों का विवरण                                                                           | नाम सदस्य                                                    | सम्बन्ध  | आयु | पेशा   |
|                                                                                                         | सुरजी देवी                                                   | पत्नी    | 68  | -      |
|                                                                                                         | बाबूलाल                                                      | पुत्र    | 46  | कृषि   |
|                                                                                                         | शीला देवी                                                    | पुत्रवधू | 45  | गृहणी  |
|                                                                                                         | गोकुल                                                        | पुत्र    | 33  | कृषि   |
|                                                                                                         | मीलामा                                                       | पुत्र    | 32  | कृषि   |
|                                                                                                         | कृष्ण                                                        | पुत्र    | 20  | भविष्य |
| 3. प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड में हुई क्षति की अनुमानित राशि                                             | 1439000 ✓                                                    |          |     |        |
| 4. (अ) कृषि भूमि सिंचित से आय                                                                           | 14000 ✓                                                      |          |     |        |
| (ब) कृषि भूमि असिंचित से आय                                                                             | -                                                            |          |     |        |
| (स) मजदूरी से                                                                                           | -                                                            |          |     |        |
| (द) व्यवसाय से                                                                                          | -                                                            |          |     |        |
| 5. जिस स्थान पर प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड कारित हुआ है, उसी भूमि का स्वागित्य स्पष्ट रूप से अंकित करें। | भा.प्र.स. नं. 550 के सुरजी देवी पत्नी मंगलचन्द के नाम पर है। |          |     |        |

हस्ताक्षर   
हल्का शाहपुरा (जयपुर)

हस्ताक्षर   
हल्का शाहपुरा (जयपुर)

प्राकृतिक आपदा / अग्निकाण्ड से हुई हानि का विवरण

| SDRF Norms के बिन्दु सं 9 (ए से ई) में अंकित प्रावधान अनुसार देय                |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | पूर्ण / गंभीर क्षतिग्रस्त                                                                                                                                                                                                              | क्षति का प्रतिशत |
| 1. सम्पूर्ण / गंभीर / आंशिक क्षति<br>अनुमानित हानि राशि 95/100 ✓<br>(लाखों में) | (अ) पक्का आवास                                                                                                                                                                                                                         | —                |
|                                                                                 | (ब) कच्चा आवास                                                                                                                                                                                                                         | 75%              |
|                                                                                 | आंशिक क्षति                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                 | (अ) पक्का आवास                                                                                                                                                                                                                         | —                |
|                                                                                 | (ब) कच्चा आवास                                                                                                                                                                                                                         | —                |
|                                                                                 | (स) झोपड़ी                                                                                                                                                                                                                             | —                |
|                                                                                 | (द) पशु बाड़ा                                                                                                                                                                                                                          | —                |
|                                                                                 | (पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर)                                                                                                                                                                                                            |                  |
| SDRF Norms के बिन्दु सं 1 (डी) में अंकित प्रावधान अनुसार देय                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 2. पहनने के कपड़े, बिस्तर आदि की क्षति                                          | वस्तुएं                                                                                                                                                                                                                                | रुपये            |
|                                                                                 | जूते                                                                                                                                                                                                                                   | 1800 ✓           |
|                                                                                 | बिस्तर                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 ✓           |
|                                                                                 | चार पाई                                                                                                                                                                                                                                | 2000 ✓           |
|                                                                                 | बैठने                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 ✓           |
| 3. भोजन व्यवस्था / घरेलू सामान से संबंधित क्षति                                 | वस्तुएं                                                                                                                                                                                                                                | रुपये            |
|                                                                                 | 10 किबल गेहूँ                                                                                                                                                                                                                          | 20000 ✓          |
|                                                                                 | 4 किबल अन्न                                                                                                                                                                                                                            | 16000 ✓          |
|                                                                                 | 2 किबल जौ                                                                                                                                                                                                                              | 4000 ✓           |
|                                                                                 | 21 बोरी पतलू भाण्ड                                                                                                                                                                                                                     | 2000 ✓           |
| SDRF Norms के बिन्दु सं 1 (ए, बी, सी) में अंकित प्रावधान अनुसार देय             |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 5. (अ) जनहानि                                                                   | 1. मानव क्षति प्राकृतिक आपदा / अग्निकाण्ड / आकाशीय विजली गिरने से मानव क्षति के संबंध में मृतक का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, आयु, एफ. आई.आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित (लाल रूहारी से जॉच अधिकारी स्पष्ट अभिरांपा सहित रिपोर्ट करें) | NIL              |
| 5. (ब) स्थाई दिव्यांगता                                                         | 2- स्थाई रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, आयु, एफ.आई.आर. व सक्षम चिकित्साधिकारी का विकलांग प्रमाण पत्र                                                                                       | NIL              |

*पटवर्गी*

पटवार हस्ता.....  
तह. शा. (जयपुर) राज.



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| गौरी (सभी सदस्यों को सूचित कर)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 5 (स) गौरी घायल                                                                                                                              | गौरी घायल (चिकित्सा देखभाल से लाभ करने) ---                                                                                                                                                                             | —                                                        |
| 6 पशु हानि (लघु/सीमान्त कृषकों को ही देय)                                                                                                    | दुधारू पशु या अन्य पशुओं की प्राकृतिक आपदा/अग्निकांड/आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की जावे तथा मृत पशु के संबंध में मय पोस्टमार्टम रिपोर्ट (गाय, गैस, बकरी, भेड़, ऊँट, गधा आदि का अंकन किया जावे) | —                                                        |
| 7. प्राकृतिक आपदा /अग्निकांड के पश्चात शेष रहे सामान का विवरण                                                                                | सामान                                                                                                                                                                                                                   | अनुमानित राशि                                            |
|                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                       | — NIL                                                    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 8. प्राकृतिक आपदा /अग्निकांड के पश्चात निवास का विवरण:                                                                                       | (1) निवास स्थान शेष है अथवा नहीं                                                                                                                                                                                        | नहीं                                                     |
|                                                                                                                                              | (2) अन्यत्र आवास व्यवस्था शेष है अथवा नहीं                                                                                                                                                                              | नहीं                                                     |
|                                                                                                                                              | (3) यदि आवास व्यवस्था शेष नहीं है तो अस्थाई आवास की क्या व्यवस्था है                                                                                                                                                    | कुछ परम लम्बाई की                                        |
| 8. प्रभावित व्यक्ति को SDRF के परिपत्र 08.04.2015 के प्रावधानानुसार सहायता दिए जाने के संबंध में अपनी स्पष्ट अनुसंधान गय टिप्पणी के निजवाये। |                                                                                                                                                                                                                         | अस्थाई आवास माना प्रचलित है।<br>पार्श्व वीपीएल से भी है। |

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवारी  
पटवारी हस्ताक्षर.....  
तह. शाहपुरा (जयपुर) राज.

हस्ताक्षर निजीलदार  
निजीलदार (पृ. ५०)  
पटवारी शाहपुरा (जयपुर)

## अग्निकाण्ड स्वीकृतियों का प्रमाण पत्र की चैक लिस्ट

1. श्री मंगेशचन्द पुत्र श्री ब्रजराज निवासी हाजी-बागवाली गांव-कसी  
दिनांक को अग्नि काण्ड हुआ है। प्रकरण में देश कारण यह है कि

देखी नहीं

2. उक्त स्वीकृत किए गए अग्निकाण्ड प्रकरण में जिस कच्चे रहवासीय आवास की पूर्ण क्षति कारित हुई है उस पर छाया व्यवस्था के अतिरिक्त दीवारें भी पूर्ण नष्ट हो गई हैं अर्थात् जमींदोज हो गई है अथवा कच्चा आवास दीवारों पर निर्मित भी नहीं था तो झोपड़े की पूर्ण क्षति पर देय राशि स्वीकृति योग्य थी।

3. जिन कच्चे/पक्के रहवासीय आवास/पशुवाड़े की पूर्ण/गंभीर क्षति जिस स्थान पर कारित हुई है वह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नहीं बढ़ाया गया था।

4. जिन कच्चे/पक्के रहवासीय आवास/पशुवाड़े की पूर्ण/गंभीर क्षति पर देय सहायता राशि स्वीकृत की जानी है उस अग्निकाण्ड जग्गावित्त का अन्य रहवासीय आवास मौजूद है अथवा नहीं **कुछ के आवागमन**  
पूर्ण विवरण अंकित करें

5. अग्निकाण्ड प्रकरणों में हुई पशु हानि पर स्वीकृत राशि में पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है तथा पशुपालक द्वारा जिस पशु की क्षति कारित हुई है उसके स्थान पर अन्य पशु कय कर लिया गया है का प्रमाण पत्र प्राप्त कर निजवावे।

**पटवारी**  
पटवार हल्की.....  
तह. शाह (जयपुर) राज.

## हुर्द मौका आगिबाण

पु.स. १८५  
निदिश/५८  
२०.०५.२३

आज दिनांक १२/०५/२३ को ग्राम करीरी की रामाबाली दाणी में आगिबाण की सूचना पर मौके पर पहुंचा। मौके पर मौका निरीक्षण किया गया उपस्थित मौलिविरान से बयान की। मौके पर उपस्थित मौलिविरान ने बताया कि श्री मंगलचन्द पुत्र खडाराम जारि भरीर के कच्चे घरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगिबाण में कच्चा घर जलकर सब से गया गया घर में सब बिराह, तीन-चारपार, कपड़े, एक बोरी गेहूं, चार बिराह लकड़ों, दो बिराह लकड़ों, दो बोरी विनोला (पशुआहार), बर्तन आदि जल गए। उपस्थित मौलिविरान ने बताया कि आगिबाण में कोई जन गया पशु हानि नहीं हुई गया काफी मगानकर से आग पर काबू पाया। मौके पर उपस्थित मौलिविरान के अनुसार पिंडीर परिवार के लिए रहने की भज्य घर में अगच्छा है तथा पिंडीर परिवार बीपीएल भेनी में है। हुर्द मौका मोईर बनाकर पकड़ मुनाया गया उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये।

A26  
सुरंग  
ग्राम पंचायत-करीरी  
प.स. शाहपुरा (जयपुर)

ई.डी. १  
१२.०५.२३  
ज.डी.डी.

इंसपेक्टर ज.डी.डी.

ज.डी.डी. रा.ग. भा.प.प.  
स.स. लाल

म.स. मंगलचन्द

(रोजनामचा का विवरण)

**State (state):** California

P.S. (11-11); 500/10

**District (District):** Wardha District

- a) G.D. No. (संकेतित नं.): 023  
b) G.D. Date (दिनांक): 12/04/2023 13:38 PM  
c) G.D. Time (दिनांक): ज्ञात / प्रतीक  
d) G.D. Sub Type (संकेतित उप-प्रकार): ज्ञात / प्रतीक  
e) Beat Area (क्षेत्र):  
f) FIR Number (संकेतित नं.):

**LIST OF STAFF (नौकरियों की सूची):**

| S.No. (श्री.) | Name (श्री.)  | (Rank) (श्री.) | SSO ID (कर्मचारी आईडी) |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1             | Santosh Kumar | मुख्य अधिकारी  | PJIO200325003878       |

- g) GD Subject (विषय/विषय): रसायन विज्ञान  
h) GD Brief (संक्षेप):

[illegible]

Report Printed on (Date): 12/04/2023 13:37  
Report Printed by (Name): RAMAWTAR TAKHAR  
HC (Head Constable)

**Signature (हस्ताक्षर)**

Name: **DR. RAMAN KISHAN TAYLOR**

Rank पुलिस थाना अमरसर

No. (11): 262 जिला जयपुर (ग्रामीण)



 ~~आधार-अधिकार~~



मंगल चन्द  
Mangal Chend  
जन्म तिथि/ DOB: 03/01/1945  
पुरुष / MALE



9703 2862 5777

आधार-आम आदमी का अधिकार

 भारतीय-निर्दिष्ट-पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:  
आत्मज: रुदा राम, धौंड न  
17, धाणी रामावाली,  
करीरी, जयपुर,  
राजस्थान - 303803

Address:  
S/O Ruda Ram, ward no 17, dhani  
ramawali, Kareri, Jaipur,  
Rajasthan - 303803

9703 2862 5777

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar







**जन-आधार कार्ड**



परिवार पहचान संख्या : 4833758430

शुद्धि का नाम : सुरेश बेदी

लिंग : पुरुष

जन्म तिथि : 01.01.1945

व्यक्तिगत पहचान संख्या : 47806106337

परिवार के आधार संख्या : 20000006726

वर्तमान पता : पॉप-करीम, बहादुर नगर, जिला - जयपुर

राज., करीम, ताहिरपुर, जयपुर-302002

परिवार पहचान संख्या : 4833758430

परिवार का विवरण

| S.N. | नाम        | लिंग | शुद्धि के नाम | जन्म तिथि  | व्यक्तिगत पहचान संख्या |
|------|------------|------|---------------|------------|------------------------|
| 1.   | सुरेश चन्द | पु.  | पति           | 01.01.1945 | 41906378533            |
| 2.   | शकुन्तला   | पु.  | पुत्र         | 01.01.1967 | 41458624749            |
| 3.   | रीता बेदी  | पु.  | पुत्र-पुत्र   | 01.01.1968 | 67783179628            |
| 4.   | दीपक       | पु.  | पुत्र         | 01.01.1990 | 63387402042            |
| 5.   | दीपिका     | पु.  | पुत्र         | 01.01.1991 | 33481747064            |
| 6.   | सुष्मा     | पु.  | पुत्र         | 01.01.2002 | 21077796208            |









टोल फ्री नम्बर 1800 180 8127  
सर्वे जनसंख्या और जनगणना विभाग



जेरा अधिकार सेरे हाथ  
V00828944





11/12

राशन कार्ड संख्या 02028

पंचायत समिति शाहपुरा

ग्राम पंचायत करीरी

ग्राम करीरी

मुखिया का नाम मंगसचन्द

पिता/माता का नाम लहराम

राशन कार्ड संख्या 02028

पंचायत समिति शाहपुरा

ग्राम पंचायत करीरी

ग्राम करीरी

मुखिया का नाम मंगसचन्द

पिता/माता का नाम लहराम

पूरा पता डाणी रामावाली करीरी जयपुर, जयपुर, 303803

स्टेट बीपीएन सर्वे क्रमांक 8514972

मैस कनेक्शन प्रकार नहीं

व्यपन वर्ष 2002

आयकर दाता नहीं

उचित मुख्य की दुकान का बिज. नं.

दुकान का नंबर 03/2003

दुकान का नाम किसानबास

पेठा करीरी, शाहपुरा, जयपुर

मोबाइल नं. 9828102134

Signature/Stamp

Digitally Signed by

Digitally Signed by

Digitally Signed by

Digitally Signed by

| क्र.सं. | नाम     | आयु | लिंग | मुखिया से संबंध |
|---------|---------|-----|------|-----------------|
| 1       | बालकन्द | 33  | पु.  | स्वयं           |
| 2       | बालकन्द | 28  | पु.  | पुत्री          |
| 3       | बालकन्द | 23  | पु.  | पुत्री          |
| 4       | बालकन्द | 14  | पु.  | पुत्री          |
| 5       | बालकन्द | 11  | पु.  | पुत्री          |
| 6       | बालकन्द | 12  | पु.  | पुत्री          |
| 7       | बालकन्द | 11  | पु.  | पुत्री          |
| 8       | बालकन्द | 8   | पु.  | पुत्री          |

कुल कुल - 8 / बालकन्द - 5 / अन्य बालकन्द - 3

Digitally Signed by विकास अधिकारी, शाहपुरा

| करोसीन | चावल/मोटा अनाज | अन्य | सागग्री देन वाले के ह. |
|--------|----------------|------|------------------------|
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |
|        |                |      |                        |

40xw

5/3/12/22

40xw

5/3/12/22



Error! Annotated source.

हमारा बैंक बीसीएलसीआई कोड-बिलडरपुर है। विवरण के लिए कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क कीजिए।  
We are BCBL code BILANDERPUR Bank. For details, please contact the Branch Manager.

आपकी आवश्यकता के अनुसार हमारे ऋण उत्पाद

Our Loan Products to meet your requirements

- प्रत्यक्ष आवास ऋण (वैयक्तिक आवास के लिए)
- सेन्ट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ऋण)
- सेन्ट व्हीकल (दो पहिया / चार पहिया वाहनों के लिए ऋण)
- सेन्ट मॉर्गेज (वैयक्तिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के समक्ष ऋण)
- सेन्ट ट्रेड (व्यापारियों के लिए कार्यशील पूंजी)
- सेन्ट स्वाभिमान (वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिबर्स मॉर्गेज योजना)
- सेन्ट किसान क्रेडिट कार्ड (किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए)
- सेन्ट लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
- सेन्ट रेंटल्स (भारी किराए के समक्ष ऋण)
- सेन्ट कल्याणी (पहिला उद्यमियों को ऋण)
- पेंशनरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- लघु एवं मध्यम उद्यमी ऋण (साधारण ऋणियों की आवश्यकताओं के लिए)



- Direct Housing Finance (For Personal Housing)
- Vidyarthi (Education loan for higher studies in India & abroad)
- Vehicle (Personal loan for two/four wheelers)
- Mortgage (Loan for personal use against property)
- Trade (Working Capital for traders)
- Swabhimaan (Reverse Mortgage Scheme for Senior Citizens)
- Kisan Credit Card (empowering farmers for their financial requirements)
- Laghu Udyami Credit Card
- Rentals (Loan against future rentals)
- Kalyani (Loan to women entrepreneurs)
- Pensioners (to meet personal exigencies)
- MSME (to meet credit requirements of SME Entrepreneurs)

कृपया अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड / क्रेडिट कार्ड) किसी भी व्यक्ति को न दें, बैंक इस तरह कभी भी आपका व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगता है।

Do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to anybody over phone or email, Bank never asks such personal details this way.



बिलडरपुर

3456636853

BILANDERPUR  
Account No: 3456636853

Branch Address And Tel No:  
VILLAGE ANL POST BILANDERPUR  
VIA KHEJWOLI BLOCK SHAHPURA  
DIST JAIPUR.  
303803  
Tel: -

Name And Address Of Account Holder/s:  
Mr. MANGAL CHAND

ASTHALA KA SWAMI  
KAREERI  
SHAHPURA  
303803

Remination: Y

OPERATING SINGLY  
Toll Free No.: 1800221911

MICR Code: 303016417  
IFSC Code: CBIN0282486  
18/05/2015

तारीख / Date

अधिकारी / प्रबंधक  
OFFICER / MANAGER











## General Diary Details (रोजनामचा का विवरण)

State (राज्य): राजस्थान

District (जिला): जयपुर ग्रामीण

P.S. (थाना): अमरसर

- a) G.D. No. (दैनंदिनी सं.): 023  
b) G.D. Date (दैनंदिनी दिनांक): 12/04/2023 13:38 PM  
c) G.D. Type (दैनंदिनी प्रकार): जांच / पंजीकरण  
d) G.D. Sub Type (दैनंदिनी उप): आग की घटना  
e) Beat Area (बीट क्षेत्र):  
f) FIR Number (प्र.सं.रि.स.):

LIST OF STAFF (कर्मचारियों की सूची):

| S.No. (सी.) | Name (नाम)    | Rank (पद)    | SSO ID (एसएसओ आईडी) |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1           | Santosh Kumar | मुख्य आरक्षी | RJJO200325003878    |

g) GD Subject (रोजनामचा विषय): रपट अकस्मात आगजनी

h) GD Brief (रोजनामचा संक्षिप्त):

सेवामें श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना अमरसर जयपुर ग्रामीण जयपुर विषय:- अचानक आग लगने के कारण हुए नुकसान के सन्दर्भ में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं एक गरीब व बी.पी.एल. परिवार का सदस्य हूँ मैं ग्राम रामावाली दाणी ग्राम करीरी थाना अमरसर का रहने वाला हूँ दिनांक 11/04/2023 को रात्री में अचानक मेरे कच्चे घर में आग लग जाने के कारण कच्चा घर जल कर राख हो गया तथा घर में रखे ओढ़ने पिछाने के कपडे, बिस्तर, तीन चारपाई, दस बोरी गेहूँ, चार क्विंटल सरसो, दो क्विंटल जौ, दो बोरी बिनाला, (पशु आहार) खाने पाने के बर्तन, आदि जल कर राख हो गये इस अचानक हुई आगजनी में किसी प्रकार की कोई जनहानी नहीं हुई है। अतः श्रीमान की सेवामें प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विषय में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 12/04/2023 प्रार्थी मंगल चन्द यादव पुत्र श्री रुडाराम यादव जाति अहीर निवासी दाणी रामावाली ग्राम करीरी थाना अमरसर तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. मो.न. 73780930148 ----- कार्यवाही पुलिस ----- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट प्रार्थी श्री मंगल चन्द यादव पुत्र श्री रुडाराम जाति यादव उम्र 75 वर्ष निवासी दाणी रामावाली करीरी थाना अमरसर जिला जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजमुन रिपोर्ट से मामला अकस्मात आगजनी का पाया जाता है रपट नुकसानजनी दर्ज कर जांच हवाले श्री सन्तोष कुमार हैंड कानि. 615 के जिम्मे की गई।

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की) 01/06/2023 14:07 बजे

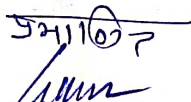
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट) RAMAWTAR TAKHAR  
HC (Head Constable)

Signature (हस्ताक्षर):

Name RAMAWTAR TAKHAR

Rank मुख्य आरक्षी

No. (सं.): 362

  
थानाधिकारी  
पुलिस थाना अमरसर  
जिला जयपुर (ग्रामीण)